

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 339 / 2025 दिनांक 31.01.2025

श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ00917), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर को दिनांक 10.02.2025 से 15.02.2025 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 एवं 16.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.प्रकरण), जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/88/2015/ 988

दिनांक 31.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 329 दिनांक 13.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ00917), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर।
5. विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.प्रकरण), जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार